FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0199 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 16/07/2026 14:32 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 06/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 13/07/2026

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:11 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/07/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 16/07/2026 14:32:02 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 200 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** MOHANGARH, TEHASIL AVM JILA JAISALMER

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): PREMSINGH

(b) Father's Name (पिता का नाम): RANSINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1998 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MOHANGARH, JAISALMER, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MOHANGARH, JAISALMER, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAGHAV DOI		पिता:SHARWAN KUMAR	1. PANCHPARI,PRATAPGARH,AL
2	SONU RAIGAR		पिता:PRAKASH CHAND RAIGAR	1. DOONI,DOONI,TONK,RAJASTH

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाड़मेर। विषयः- डाक्टर एवं पशुधन निरीक्षक द्वारा ऊंट संरक्षण योजना अन्तर्गत अनुदान दिलाने की एवज में रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही बाबत। महोदयजी, अर्ज एक प्रार्थी प्रेमसिंह पुत्र श्री राणसिंह जाति राजपूत निवासी मोहनगढ तहसील एव जिला जैसलमेर की यह है कि मैंने राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही ऊंट संरक्षण योजना के तहत दिनांक 08.05.2026 को इसमे देय अनुदान राशि 10,000-10,000 की दो किष्ते (गर्भवती ऊंटनी के संरक्षण हेतु प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात उसके बच्चे/टोडिये हेतु) प्राप्त करने के लिए आनलाईन आवेदन किया था, आवेदन पर अग्रिम कार्यवाही पशु चिकित्सक व पशुधन निरीक्षक, राजकीय पशु चिकित्सालय मोहनगढ को करनी थी, इसलिए मैं कई बार इस कार्य के लिए श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक व डा0 राघव डोई पशु चिकित्सक से पशु चिकित्सालय मोहनगढ में जाकर मिला, तो दोनों ने मुझे कहा कि कई गांव के लोग तो हमें इस कार्य के 5000-5000 रू. व कई लोग फिफ्टी पर्सेण्ट तक देते हैं, किन्तु आप 2000 रूपये दे देना, आपके इस आवेदन का काम कम्पलीट करके किश्तें आपके खाते में डलवा देगें, तब मैंने कहा कि आप किश्तें खाते डलवा दो, बाद में पैसे दे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तब इन्होनें कहा कि बिना पैसे कोई काम नहीं होगा, आप कुछ एडवांस दो तो मौके पर आकर कार्यवाही शुरू कर देगें, जिस पर मैंने इनके द्वारा बहुत ज्यादा कहने पर दिनांक 04.06.2026 को आरोपी श्री सोनू रैगर के फोन-पे नंबर पर मेरे फोन-पे नंबर से 1000 रू. फोन-पे किये, तब उसी दिन सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक अपनी मोटर साईकिल लेकर मेरे साथ मेरे खेत पर चला व मेरी ऊंटनी व उसके तोडिये (बच्चा) का फोटो लेकर उनकी टैगिंग की, इसके बाद मैंने सोनू रैगर को व डाक्टर साहब के होस्पीटल में नहीं होने से फोन पर मेरे भाई मनोहरसिंह का भी आवेदन करने की बात कही, तो इन्होनें कहा कि आप आवेदन करवा देना, उसे भी अनुदान दिला देगें, किन्तु उसके भी 2000 रू. लेगें, तब मैंने एसीबी राजस्थान के हैल्पलाईन नंबर पर इनकी शिकायत की, तो बाडमेर एसीबी से मेरे पास फोन आया व इनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश करने का कहा तो मैंने बाडमेर तक आने में असमर्थता जाहिर की, तब मुझे डाक्टर व सोनू पशुधन निरीक्षक दोनों के होस्पीटल में हाजिर होने पर उसकी मालुमात कर सम्पर्क करने को कहा गया, तब दिनांक 05.06.2026 की सांय को मैंने पता किया तो डाक्टर साहब व सोनू रैगर दोनों होस्पीटल में हाजिर मिले, तब मैंने एसीबी बाडमेर से वापस फोन पर सम्पर्क कर दोनों के हाजिर होने की सूचना दी, तो मुझे दूसरे दिन दिनांक 06.07.2026 को मोहनगढ में पशु चिकित्सालय के आस-पास उपस्थित रहने एंव एसीबी कार्मिक के पंहुचने पर लिखित रिपोर्ट पेश कर अग्रिम कार्यवाही बाबत् समझाईश की गई, इसलिए मैंने आज मेरे भाई मनोहरसिंह का भी इसी योजनान्तर्गत अनुदान हेतु ओनलाईन आवेदन करवाया, किन्तु मनोहरसिंह भी डाक्टर साहब व सोनू को मेरी तरह रिश्वत नहीं देना चाहता है। एंव स्वयं व्यस्त होने से उसने मुझे इनके विरूद्ध एसीबी से कार्यवाही के लिए लिखित में अधिकृत किया है। हम दोनों भाई भ्रष्ट डाक्टर राघव डोई एवं सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक पशु होस्पीटल मोहनगढ को रिश्वत नही देना चाहते है, मै उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। हमारे इनसे कोई रंजिश व रूपयो पैसो का कोई लेन देन बकाया नही है। रिपोर्ट एवं मेरे भाई का अधिकार पत्र कार्यवाही हेतु पेश है। दिनांक 06.07.2026 -एस.डी.-गवाह श्री शम्भूसिंह/13.07.2026 -एस.डी.-गवाह श्री जसराज/13.07.2026 -एस.डी.- नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भवदीय प्रेमसिंह पुत्र श्री राणसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मोहनगढ तहसील एव जिला जैसलमेर मो0न0

कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट दिनांक 06.07.2026 वक्त 0300 पी.एम. पर प्रार्थी श्री प्रेमसिंह पुत्र श्री राणसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मोहनगढ तहसील एव जिला जैसलमेर ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बमुकाम मोहनगढ में श्री शोभसिंह कानि. नं. 35 के समक्ष पेश कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से जरिये मोबाईल वाटसएप वार्ता कर रिपोर्ट के तथ्य बताये, साथ ही वाट्सऐप पर उक्त रिपोर्ट प्राप्त कर अवलोकन किया गया। इससे पूर्व दर्ज रहे कि परिवादी श्री प्रेमसिंह द्वारा राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही ऊंट संरक्षण योजना के तहत दिनांक 08.05.2026 को इसमे देय अनुदान राशि 10,000-10,000 की दो किश्ते प्राप्त करने हेतु किये गये आवेदन पर अग्रिम कार्यवाही के क्रम में राजकीय पशु होस्पीटल मोहनगढ के चिकित्सक एंव पशुधन सहायक द्वारा 2000 रू. रिश्वती राशि मांग पर ब्यूरो के हैल्प लाईन नं. 1064 पर की गई शिकायत के क्रम में परिवादी को पूर्व में ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर पर उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट पेश करने हेतु हिदायत की गई, किन्तु परिवादी द्वारा

आवश्यक घरेलु कार्य में व्यस्तता एंव मोहनगढ से बाड़मेर की अत्यधिक दूरी को देखते हुए ए.सी.बी. कार्यालय बाड़मेर आकर रिपोर्ट पेश करने में असमर्थता जाहिर की गई, जिस पर परिवादी को आरोपित चिकित्सक एंव पशुधन सहायक दोनों की राजकीय पशु अस्पताल मोहनगढ में उपस्थिति की मालुमात कर कार्यालय हाजा के कानि. श्री शोभसिंह नं. 35 या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने बाबत् पूर्व में की गई हिदायत के फलस्वरूप दिनांक 05.07.2026 के रोज परिवादी श्री प्रेमसिंह द्वारा श्री शोभसिंह कानि. को जरिये मोबाईल अवगत करवाया गया कि आज व कल आरोपित चिकित्सक व पशुधन सहायक के राजकीय पशु चिकित्सालय मोहनगढ में उपस्थित रहने की जानकारी मिली हैं। पूर्व में एसीबी राजस्थान के हैल्प लाईन नं. 1064 पर कोल कर इन आरोपितों की शिकायत की तो वहां से आपके नम्बर मिले एंव सम्पर्क करने का कहने पर मैंने आपको कोल किया हैं। मैं आरोेपितों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कराना चाहता हूं। इसलिए आप मेरी सूचना पर अग्रिम कानूनी कार्यवाही करावें। जिस पर परिवादी को कार्यालय हाजा के श्री शोभसिंह कानि. से दूसरे दिन दिनांक 06.07.2026 को बमुकाम मोहनगढ में मिलकर लिखित रिपोर्ट पेश करने एंव डिजीटल वोइस रिकोर्डर में आरोपितों से वार्ता कर रिकार्डिंग करवाने आदि बाबत् मुनासिब समझाईश कर श्री शोभसिंह कानि. को मय डिजीटल वोइस रिकोर्डर के दिनांक 06.07.2026 को मोहनगढ पंहुच परिवादी से रिपोर्ट प्राप्त कर इस संबध में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते हुए अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराने बाबत् निर्देशित किया गया। दिनांक 06.07.2026 को प्रातः कार्यालय मालखाना से डिजीटल वोइस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड के प्राप्त कर इन्हे आपरेट करने बाबत् श्री शोभसिंह कानि. नं. 35 से समझाईश की जाकर परिवादी श्री पे्रमसिंह के पास उसके गांव मोहनगढ पंहुच उनसे आरोपित चिकित्सक व पशुधन सहायक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु लिखित रिपोर्ट प्राप्त कर अवगत कराने के पश्चात हस्ब कायदा मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु मुनासिब हिदायत कर रवाना मोहनगढ, जिला जैसलमेर की तरफ किया गया। जिसने उसी दिन दोपहर पश्चात मोहनगढ पंहुच परिवादी श्री प्रेमसिंह से मिलकर उनसे उपरोक्त तथ्यों की हस्तलिखित रिपोर्ट मय आधार कार्ड एंव आवेदन दस्तावेज व अपने भाई श्री मनोहरसिंह के अधिकार पत्र सहित पेश की, जिस पर श्री शोभसिंह कानि. ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर जरिये वाटसएप परिवादी श्री प्रेमसिंह से प्राप्त उक्त हस्त-लिखित रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात के प्रेषित की, जिनका अवलोकन कर जरिये वाटसएप कोल परिवादी श्री प्रेमसिंह से आवश्यक पूछताछ कर ओर जानकारी प्राप्त की गई। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने से इस पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर श्री शोभसिंह कानि. को अग्रिम मांग सत्यापन कार्यवाही बाबत् निर्देषित किया जाने पर निर्देशानुसार मांग सत्यापन कार्यवाही करवाकर श्री शोभसिंह कानि. ने जरिये मोबाईल वाटसएप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी कुछ देर पहले परिवादी श्री प्रेमसिंह को राजकीय पशु चिकित्सालय मोहनगढ में आरोपितगण डा0 राघव डोई व श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक के पास मय डिजीटल वोइस रिकोर्डर के भेजा गया तो होस्पीटल में डा0 राघव डोई नहीं मिले, किन्तु आरोपी श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक होस्पीटल में हाजिर मिले, जिनसे रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर परिवादी के माध्यम से डिजीटल वोइस रिकोर्डर में इंस्ट्राॅल मेमोरी कार्ड में रिकार्डिंग करवा ली हैं, परिवादी के अनुसार वार्ता के दौरान आरोपी श्री सोनू रैगर पशुधन चिकित्सक ने उनसे उनके आवेदन पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु 2000 रू. रिश्वती राशि की मांग की, जिसमें से पूर्व में सोनू रैगर 1000 रू. जरिये फोन-पे प्राप्त कर चुका हैं, परिवादी द्वारा अपने भाई श्री मनोहरसिंह का भी आवेदन करने की बात कहने पर आरोपित द्वारा उसके भाई के आवेदन पर भी अग्रिम कार्यवाही 2000 रू. की पृथक से मांग की गई, परिवादी द्वारा इतनी व्यवस्था फिलवक्त नहीं कर पाने एंव योजना की किश्त मिलने पर देने की बात कहने पर आरोपित द्वारा डा0 राघव द्वारा बिना पैसे काम नहीं करने का कहना, इत्यादि वार्ता हुई हैं, किन्तु इस सम्बन्ध डा0 राघव डोई के होस्पीटल में नहीं मिलने से उनसे कोई वार्ता नहीं होना बताया गया, जिस पर कानि. श्री शोभसिंह के माध्यम से परिवादी को आईन्दा आरोपी डा0 राघव के होस्पीटल में उपस्थित होने पर अविलम्ब अवगत कराने एंव रिश्वती राशि मांग के बारे में डाक्टर से भी परिवादी की वार्ता करवाकर रिकोर्डिंग करवाने का निर्णय लिया गया। श्री शोभसिंह कानि. को प्रकरण में गोपनीयता की पूर्ण हिदायत देकर परिवादी को पीछे छोड़ने एंव डिजीटल वोइस रिकोर्डर को सुरक्षित स्थिति में मय परिवादी की रिपोर्ट के हमराह लेकर अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय पर पंहुचने हेतु निर्देषित किया गया। जिस पर उसी दिन रात्रि में श्री शोभसिंह कानि. नं. 35 बाद सत्यापन ब्यूरो चोकी बाड़मेर पर उपस्थित हुआ एवं डिजिटल वोइस रिकोर्डर स्वीच ओफ सुदा मय परिवादी श्री प्रेमसिंह की लिखित रिपोर्ट मय संलग्न आधार कार्ड, ओनलाईन आवेदन के प्रिण्ट आउट व अपने भाई मनोहरसिंह के अधिकार पत्र के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि आज माफिक निर्देशानुसार बाडमेर से रवाना सुदा मोहनगढ पंहुच परिवादी श्री पे्रमसिंह से सम्पर्क करने पर उक्त वहीं मोहनगढ कस्बे में पुलिस थाना के पास हाजिर मिला, जिनसे मिलकर कार्यवाही बाबत् लिखित रिपोर्ट, उसका आधार कार्ड, आवेदन की प्रति आदि प्राप्त कर जरिये वाटसएप आपको प्रेषित की गई। परिवादी ने बताया कि आज पशु चिकित्सक व पशुधन सहायक दोनों ही होस्पीटल में उपस्थित हैं, लिहाजा मेरी रिश्वती राशि मांग के सम्बन्ध में दोनों से वार्ता हो जायेगी, ये दोनों ही मेरे ऊंट संरक्षण योजनान्तर्गत किये गये आवेदन पर अनुदान दिलाने हेतु अग्रिम

कार्यवाही करने की ऐवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिस पर परिवादी को डिजीटल वोइस रिकोर्डर मय इंस्ट्राल सुदा खाली मैमोरी कार्ड के ओपरेट करने की समझाईश कर ओन कर सुपुर्द कर आरोपित चिकित्सक व पशुधन चिकित्सक से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की रिकोर्डिंग कर लाने हेतु राजकीय पशु होस्पीटल मोहनगढ में भेजा गया, मैं वहीं आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी की वापसी के इन्तजार में व्यस्त रहा। करीबन 20-25 मिनट पश्चात परिवादी श्री प्रेमसिंह मेरे पास वापस आया, जिनसे डिजीटल वोइस रिकोर्डर प्राप्त कर स्वीच ओफ स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में लिया, पूछने पर परिवादी श्री प्रेमसिंह ने पूर्व में जरिये वाटसएप कोल बताये गये तथ्य बताये, निर्देशानुसार परिवादी श्री प्रेमसिंह को आईन्दा आरोपित चिकित्सक के होस्पीटल में उपस्थिति की जानकारी पता कर सूचित कराने हेतु हिदायत की गई। जिस पर डिजीटल वोइस रिकोर्डर को ओन कर रिकोर्डिंग वार्ता को सुना गया तो कानि. श्री शोभसिंह द्वारा पूर्व में बताये गये तथ्यों की ताईद होकर आरोपित श्री सोनू रैगर पशुधन चिकित्सक द्वारा परिवादी श्री प्रेमसिंह से उनके ऊंट संरक्षण योजनान्तर्गत किये गये आवेदन पर अग्रिम कार्यवाही कर अनुदान दिलाने की ऐवज में 2000 रू. रिश्वती राशि की मांग करने, इसमें से 1000 रू. पूर्व में आरोपित द्वारा प्राप्त करने, राशि में आरोपित चिकित्सक का हिस्सा होने आदि पाया गया। किन्तु आरोपित चिकित्सक के होस्पीटल में नहीं मिलने से उनसे वार्ता नहीं होना पाया गया, आईन्दा उक्त वार्ता करवाकर रिकोर्डिंग करवाई जाने का निर्णय लिया गया। श्री शोभसिंह कानि. द्वारा पेश परिवादी श्री प्रेमसिंह की लिखित रिपोर्ट, आधार कार्ड प्रति एंव उसके द्वारा ऊंट संरक्षण योजनान्तर्गत अनुदान हेतु किये गये ओनलाईन आवेदन दिनांक 08.05.2026 की प्रति का अवलोकन कर मय डिजीटल वोइस रिकोर्डर के उक्त दस्तावेजात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गये। श्री शोभसिंह कानि. को परिवादी श्री प्रेमसिंह के निरन्तर सम्पर्क में रहने एंव आरोपित चिकित्सक के होस्पीटल में उपस्थिति की जानकारी मिलने पर अविलम्ब मन् ए.एस.पी. को अवगत कराने एंव प्रकरण में पूर्ण गोपनीयता रखने बाबत् मुनासिब हिदायत की गई। दिनांक 10.07.2026 को श्री शोभसिंह कानि. ने कार्यालय कक्ष में आकर बताया कि आज दिन में मेरी परिवादी श्री प्रेमसिंह जरिये वाटसएप कोल वार्ता हुई, जिसने बताया कि आज आरोपित चिकित्सक डा0 राघव होस्पीटल में उपस्थित हैं, जो कल भी यहीं रहेगे, बाद में इनके पास अन्य होस्पीटल का अतिरिक्त चार्ज हैं, वहां चले जायेगें, इसलिए कल डाक्टर से वार्ता हो सकती हैं। जिस पर श्री शोभसिंह कानि. डिजीटल वोइस रिकोर्डर में एक नया मैमोरी कार्ड इंस्ट्राल कर इनका खाली होना सुनिश्चित कर श्री शोभसिंह कानि. को सुपुर्द कर कल दिनांक 11.07.2026 को मोहनगढ पंहुच परिवादी श्री प्रेमसिंह से सम्पर्क कर आरोपित चिकित्सक से रिश्तवी राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर रिकार्डिंग कर लाने हेतु आवश्यक हिदायत की गई। दिनांक 11.07.2026 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु मोहनगढ गये हुए श्री शोभसिंह कानि. नं. 35 ने बमुकाम मोहनगढ से जरिये वाॅटसऐप कोल बताया कि निर्देशानुसार मोहनगढ पंहुच परिवादी श्री प्रेमसिंह से मिलकर उसे मय डिजीटल वोइस रिकोर्डर के राजकीय पशु चिकित्सालय मोहनगढ में भेजकर आरोपी डा0 राघव से वार्ता करवाकर डिजीटल वोइस रिकोर्डर में रिकोर्डिंग करवा ली हैं। परिवादी के अनुसार वार्ता के दोरान आरोपित चिकित्सक एंव सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक द्वारा परिवादी एंव उसके भाई मनोहरसिंह के आवेदन पर अग्रिम कार्यवाही कर इन्हें अनुदान दिलाने की ऐवज में 2000-2000 रू. सहित कुल 4000 रू. रिश्वती राशि की मांग की गई, इसमें से 1000 रू. आरोपित श्री सोनू रैगर पूर्व में ले चुका हैं एंव शेष 3000 रू. ओर लिया जाना तय किया गया हैं, आरोपित चिकित्सक द्वारा उक्त राशि 3000 रू. सह आरोपित श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक को देने हेतु परिवादी से कहा गया हैं। साथ ही श्री शोभसिंह कानि. ने बताया कि परिवादी श्री प्रेमसिंह रिश्वती राशि की व्यवस्था हेतु पीछे रूकना चाहता हैं, तथा आरोपितों ने रिश्वती राशि दिनांक 15 जुलाई 2026 से पूर्व देने बाबत् कहा गया हैं। जिस पर कानि. श्री शोभसिंह को परिवादी को पीछे छोड़ने व अविलम्ब मय डिजीटल वोइस रिकोर्डर ब्यूरो चोकी पंहुचने एंव प्रकरण में पूर्ण गोपनीयता बरतने की हिदायत की जाने पर श्री शोभसिंह कानि0 उसी मोहनगढ से रवाना सुदा कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया एंव मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजीटल वोइस रिकोर्डर प्रस्तुत कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन के उपरोक्त अंकित हालातों से पुनः जबानी अवगत करवाया, जिस पर डिजिटल टेप रिकार्डर ओन कर उक्त रिकोर्डिंग मांग सत्यापन वार्ता को सुनने पर पूर्व में बताये तथ्यों की ताईद होते हुए आरोपित चिकित्सक एंव सह आरोपित श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रेमसिंह व उसके भाई श्री मनोहरसिंह के ऊंट संरक्षण योजनान्तर्गत किये गये आवेदनों पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर अनुदान दिलाने की ऐवज में प्रति आवेदन 2000 रू. की दर से कुल 4000 रू. रिश्वती राशि की मांग करने, इसमें से पूर्व में 1000 रू. प्राप्त करने एंव शेष 3000 रू. दिनांक 15.07.2026 से पूर्व लिया जाना तय किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखा गया एवं श्री शोभसिंह कानि0 को परिवादी से अग्रिम कार्यवाही बाबत सम्पर्क में रहने की हिदायत की गई। उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो जोधपुर से हालात निवेदन किये गये। दिनांक 12.07.2026 की सांय को श्री शोभसिंह कानि. नं. 35 ने मन् अतिरिक्त पुलिस को बताया कि आज अभी कुछ देर पूर्व मेरी परिवादी श्री प्रेमसिंह से जरिये मोबाईल वाटसएप वार्ता हुई, वार्ता के दोरान परिवादी ने आरोपितों को दी जाने वाली रिश्वती राशि 3000 रू. व्यवस्था करने एंव कल दिनांक 13.07.2026 को आरोपित चिकित्सक व सह आरोपित पशुधन निरीक्षक के राजकीय पशु चिकित्सालय मोहनगढ में उपस्थित रहने एंव लेन-देन होने बाबत् बताया हैं। जिस पर श्री शोभसिंह कानि. के माध्यम से कल प्रातः 0930

ए.एम. मोहनगढ कस्बे से बाहर जैसलमेर की तरफ आने वाली सड़क पर नियत स्थान पर मय रिश्वती राशि के उपस्थित मिलने बाबत् पाबन्द करवाया गया। चूंकि आज रविवार का अवकाश होने से उक्त कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान बाबत् जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर गवाहान मामुर कर इन्हें दूसरे दिन प्रातः 0530 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर में भेजने बाबत् आग्रह किया गया। श्री सुराब खां हैड कानि. नं. 97 को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु ट्रेप बोक्स तैयार कर कार्यालय जाब्ता को नियत समय पर कार्यालय में उपस्थित होने बाबत् पाबन्द करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 13.07.2026 को प्रातः नियत समय पर पाबन्द सुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव ब्यूरो स्टाफ चोकी हाजा पर उपस्थित आये। दोनों गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर परिचय पूछा तो उन्होनें अपना-अपना परिचय क्रमशः श्री जसराज पुत्र श्री शंकरलाल, जाति दर्जी, उम्र 35 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी इन्द्रा कॉलोनी बाड़मेर, हाल सूचना सहायक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर व श्री शम्भूसिंह पुत्र श्री तगसिंह, जाति राजपुरोहित, उम्र 36 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम सिलोर, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा, हाल सूचना सहायक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर के रूप में दिया। तत्पश्चात प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में ब्यूरो स्टाफ एंव स्वतन्त्र गवाहान को समझाईश की गई, साथ ही ट्रेप कार्यवाही में राजकीय वाहन के अलावा एक अन्य वाहन की आवश्यकता होने से एक प्राईवेट अन्य प्राईवेट वाहन की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री प्रेमसिंह को मय रिश्वती राशि 3000 रू. के नियत समय पर पूर्व निर्धारित स्थान पर पंहुचने हेतु पुनः जरिये श्री शोभसिंह कानि. के निर्देशित करवाया जाकर मन् नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री सुराब खां हैड कानि. 97, श्री सोहनराम हैड कानि. नं. 33, श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38, श्री लालाराम कानि. 328, श्री मनोहर कानि. नं. 39, श्री बांकाराम कानि. 584, श्री कंवराराम कानि. नं. 37, श्री शोभसिंह कानि. नं. 35 व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री शम्भूसिंह सूचना सहायक व श्री जसराज सूचना सहायक के चोकी हाजा के राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक कानि. पवनकुमार एवं एक अन्य प्राईवेट वाहन से प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बोक्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री तथा आवश्यकतानुसार एक कागजी पुड़िया में फिनोफ्थलीन पाऊडर अलग से लिया जाकर श्री कंवराराम कानि. नं. 37 को सुपुर्द करवाकर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना भ्रनिब्यूरो कार्यालय बाड़मेर से रवाना होकर मोहनगढ जिला जैसलमेर में नियत स्थान पर पंहुचा, जहां पूर्व हिदायतानुसार परिवादी श्री प्रेमसिंह उपस्थित मिला, व बताया कि आरोपित को दी जाने वाली रिश्वती राशि साथ लेकर आया हूं। जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जाकर हाजिर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री शम्भूसिंह सूचना सहायक व श्री जसराज सूचना सहायक का हाजिर परिवादी श्री प्रेमसिंह से परस्पर परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 06.07.2026 को आरोपितों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट दोनों गवाहान को पढकर सुनाई गई एंव पढने हेतु दी जाकर डिजीटल वोइस रिकोर्डर में रिकोर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता प्रथम व द्वितीय के सत्यापन संबधित महत्वपूर्ण अंशो/वाक्यांश को टेप रिकार्डर ओन व रिवर्स-फारवर्ड कर सुनाया गया। दोनों गवाहान द्वारा भी हाजिर परिवादी से रिपोर्ट के संबध में पूछताछ कर बाद तसल्ली के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर करते हुए इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की मौखिक सहमति दी गई। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री प्रेमसिंह से सह आरोपी श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक राजकीय पशु चिकित्सालय मोहनगढ जिला जैसलमेर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 3000/- रूपये पेश करने का कहने पर परिवादी श्री प्रेमसिंह ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रू. के 06 नोट, कुल राशि 3000 रू. रूबरू गवाहान अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये, जिनके नम्बर निम्नानुसार हैं। 1 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 PW 255666 2 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 8 RF 091876 3 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 6 LF 747682 4 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 5 WT 659746 5 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 4 EA 836940 6 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 6 GP 130448 चोकी हाजा से वक्त रवानागी कार्यालय हाजा के मालखाना से हमराह जाब्ता के श्री कंवराराम कानि. नं. 37 के साथ लाई गई फिनोफ्थलीन पाऊडर की पुड़िया मंगवाई जाकर श्री कंवराराम कानि. नं. 37 से ही उक्त 3000 रू. के सभी नोटों को प्राईवट वाहन के पिछली सींट पर बिछाये गये एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाऊडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। परिवादी श्री प्रेमसिंह की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री शम्भूसिंह सूचना सहायक से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया, उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नोटों को परिवादी श्री प्रेमसिंह के पहनी हुई पेन्ट के दाहिने साईड की जेब में श्री कंवराराम कानि. नं. 37 से रखवाये जाकर उसे स्वतन्त्र गवाहान एंव ब्यूरो जाब्ता के समक्ष हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुऐ, सह आरोपी श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि सह आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, या छुपाता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फेर कर गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात प्लास्टिक की एक डिस्पोजल साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी एंव जाब्ता को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना

स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री कंवराराम कानि. नं. 37 के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को फिंकवाया जाकर डिस्पोजल गिलास व रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु प्रयुक्त अखबार एंव बचे हुए फिनोफ्थलीन पाउडर की पुड़िया को जलाकर नष्ट करवाया गया। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व सह- आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री कंवराराम कानि. नं. 37 को एसीबी कार्यालय बाड़मेर के लिए फाॅरिक किया गया। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर इस पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस मय हमराहियान परिवादी श्री प्रेमसिंह को हमराह लेकर राजकीय पशु चिकित्सालय मोहनगढ के पास पंहुच आस-पास की लोकेषन का गोपनीय रूप से नजरी अवलोकन कर हमराह जाब्ता, परिवादी एंव गवाहान को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही के संबध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये। तत्पश्चात हमराह जाब्ता के अपनी-अपनी उपस्थिति एंव आरोपित पर नजर रखने बाबत् स्थान का निर्धारण कर हमराह जाब्ता के श्री बांकाराम कानि. नं. 584 व श्री शोभसिंह कानि. नं. 35 को एडवांस पार्टी के तोर पर मामुर कर श्री शोभसिंह कानि. को डिजीटल वोइस रिकोर्डर मय इंस्ट्राल सुदा नये मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर लेन-देन हेतु परिवादी को भेजने से पूर्व ओन कर सुपुर्द करने बाबत् मुनासिब हिदायत की जाकर पशु चिकित्सालय मोहनगढ के पास गोपनीय रूप से मौजूद रहकर आरोपितों पर कड़ी निगरानी रखने एंव परिवादी से लेन-देन पश्चात गोपनीय ईशारा प्राप्त कर अविलम्ब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने बाबत् निर्देषित किया गया। इस बीच परिवादी श्री प्रेमसिंह ने अपने स्तर पर मालुमात कर बताया कि सह आरोपी श्री सोनू रैगर पशुधन सहायक होस्पीटल के अन्दर ही हैं, जबकि आरोपित डा0 राघव डोई जिनके पास क्षेत्र के दो-तीन अन्य पशु चिकित्सालयों का अतिरिक्त प्रभार होने से वो राजकीय पशु चिकित्सालय नाचना की तरफ निकल चुका हैं, जो नाचना यहां से करीबन 60 कि.मी. दूर हैं। दोपहर लन्च के समय आरोपित डाक्टर के नाचना से वापस मोहनगढ होस्पीटल में आने की संभावना हैं। जिस पर अग्रिम कार्यवाही को आरोपित डाक्टर की नाचना वे मोहनगढ वापसी तक स्थगित कर आरोपित डाक्टर की वापसी के इन्तजार में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमराहियान के मौका स्थल के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए गोपनीय रूप से मुकीम रहकर आरोपित के इन्तजार में व्यस्त हुए। करीबन दो-ढाई घण्टे पश्चात परिवादी श्री प्रेमसिंह ने अपने स्तर पर मालुमात कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि अभी कुछ देर पहले आरोपित डा0 राघव डोई पशु चिकित्सक नाचना से वापस पशु चिकित्सालय मोहनगढ पंहुच चुका हैं, एंव इस समय अपने कार्यालय कक्ष में मौजूद हैं। जिस पर एडवांस पार्टी में मामुरा श्री शोभसिंह कानि. व श्री बांकाराम कानि. के साथ परिवादी श्री प्रेमसिंह को रिश्वती राशि लेन-देन हेतु आवश्यक हिदायत कर राजकीय पशु चिकित्सालय मोहनगढ की तरफ तरफ रवाना किया गया, श्री शोभसिंह कानि. को परिवादी को होस्पीटल में भेजने से पूर्व डिजीटल वोइस रिकोर्डर मय इंस्ट्राल सुदा मेमोरी कार्ड के ओन कर रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता की रिकोर्डिंग हेतु सुपुर्द करने एंव परिवादी से लेन-देन पश्चात गोपनीय ईशारा प्राप्त कर अविलम्ब अवगत कराने बाबत् एक बार पुनः आवश्यक हिदायत की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष समस्त हमराहियान के पशु चिकित्सालय के आस-पास गोपनीय रूप से मौजूद रहकर परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुआ। कुछ समय पश्चात वक्त 0110 पी.एम. दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री प्रेमसिंह ने राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय मोहनगढ कार्यालय भवन के बरामदे में आकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईषारा अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फेरकर एडवांस पार्टी में मामुरा हमराह जाब्ता के श्री शोभसिंह कानि. 35 व श्री बांकाराम कानि. नं. 584 को कर रिश्वत राशि लेन-देन होने की सूचना दी, जिसके बारे में उसी समय श्री शोभसिंह कानि. द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मोबाईल वाटसएप कोल कर अवगत करवाया गया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव ब्यूरो जाब्ता के प्राईवेट वाहन एंव राजकीय वाहन से रवाना होकर परिवादी श्री प्रेमसिंह के पास पंहुच उनसे पूर्व में दिया गया डिजीटल वोइस रिकोर्डर प्राप्त कर स्वीच ओफ कर स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया, कि पूछने पर परिवादी ने सामने कार्यालय कक्ष में कार्यालय टेबल की मुख्य कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को डा0 राघव डोई व उसके सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक होना बताते हुए टेबल की मुख्य कुर्सी के सामने बैठे व्यक्ति की तरफ ईषारा कर बताया कि ये श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक हैं, जिन्होनें अभी-अभी यहीं कुर्सी पर बेठे-बेठे डा0 राघव डोई के सामने ही उनके कहेनुसार मेरे से मांगकर पूर्व में तय सुदा रिश्वती राशि 3000 रू. प्राप्त कर अपने पहने हुए लोअर के दांहिने साईड की

जेब में रखे हैं। उक्त कार्यवाही की हमराह जाब्ता के श्री लालाराम कानि. नं. 328 से राजकीय आडियो-विडियो रिकार्डर में पूर्व में डलवाए गए नए मेमोरी कार्ड में आडियो-विडियो रिकोर्डिंग प्रारंभ करवाई जाकर टेबल के सामने मुख्य कुर्सी व सामने की कुर्सी पर बैठे दोनों आरोपितों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना एंव हमराहियान का परिचय देकर मन्तव्य से अवगत करवाकर उसका परिचय पूछा तो उन्होनें अपना परिचय क्रमषः श्री राघव डोई पुत्र श्री श्रवणकुमार, जाति गुर्जर, उम्र 25 वर्ष, पैशा यू.टी.बी. संविदा पशु चिकित्सक, निवासी ग्राम पंचपड़ी, तहसील प्रतापगढ, जिला अलवर, हाल यू.टी.बी. अन्तर्गत संविदा पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय ताड़ना, अतिरिक्त प्रभार राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय मोहगढ, जिला जैसलमेर, मोबाईल नं. व श्री सोनू रैगर पुत्र श्री प्रकाषचन्द रैगर, जाति रैगर, उम्र 23 वर्ष, पैशा यू.टी.बी. संविदा पशुधन निरीक्षक, निवासी ग्राम धूनी, तहसील धूनी, पुलिस थाना धूनी, जिला टोंक, हाल यू.टी.बी. अन्तर्गत संविदा पशुधन निरीक्षक, राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र मंडाऊ, अतिरिक्त प्रभार पशुधन निरीक्षक, राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय मोहनगढ, जिला जैसलमेर, मोबाईल नं. के रूप में दिया। जिस पर सह-आरोपी श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक को परिवादी श्री प्रेमसिंह को पहचानने व इससे अभी कुछ देर पहले रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबध में पूछा तो सह-आरोपी श्री सोनू रैगर ने अपने पहने हुए लोअर के दांहिने साईड की जेब से भारतीय मुद्रा 500-500 रू. के नोट निकालकर दिखाते हुए परिवादी व उसके भाई द्वारा राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही ऊंट संरक्षण योजना के तहत अनुदान हेतु आवेदन करने एंव सत्यापन में इनके द्वारा बिना ऊंट के ही झूंठा आवेदन करने एंव इनसे किसी भी प्रकार रिश्वत लेने से इन्कार करते हुए कहा कि इसके कहने से मैं इसके साथ मेरे स्वयं की मोटर साईकिल से ग्राम ताड़ना तक धोरों में गया था, जहां ऊंटनी की टैगिंग करके आया था, एंव इस दोरान दो-तीन बार मोटर साईकिल से नीचे भी गिर गया था, मैं इनके काम से ही गया था, इसलिए मेरी मोटर साईकिल के तेल-भाड़े के ये पैसे आज इनसे लिये हैं, रिश्वत के रूप में मैंने इनसे कोई रूपये नहीं लिये हैं। ये मेरी मोटर साईकिल के तेल-भाड़े के पैसे हैं, इससे डाक्टर साहब का भी कोई लेना-देना नहीं हैं। जिस पर इस सम्बन्ध में आरोपित डा0 राघव डोई से पूछा गया तो परिवादी द्वारा विभाग में ऊंट संरक्षण योजना के तहत अनुदान हेतु आवेदन करने के कारण इनसे जान-पहचान होना एंव सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक द्वारा कोई रिश्वत नहीं लेना, वरन परिवादी के साथ अपना काम छोडकर मोटर साईकिल लेकर टैगिंग हेतु यहां से बहुत दूर धोरों में जाने से मोटर साईकिल के पैट्रोल-किराया की राशि लेना, उक्त रिश्वती राशि नहीं होना, स्वयं का इस राशि से कोई लेना-देना नहीं होना बताया। जिस पर हाजिर परिवादी श्री प्रेमसिंह ने दोनों आरोपितगण श्री सोनू रैगर व डा0 राघव डोई के कथनों का खण्डन करते हुए स्वेच्छा से रूबरू गवाहान बताया कि ये दोनों झूंठ बोल रहे हैं, मैंने राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही ऊंट संरक्षण योजना के तहत आवेदन करने पर उक्त योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि 10,000-10,000 की दो किष्ते (गर्भवती ऊंटनी के संरक्षण हेतु प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात उसके बच्चे/टोडिये हेतु) प्राप्त करने के लिए दिनांक 08.05.2026 को ओनलाईन आवेदन किया था, आवेदन पर अग्रिम कार्यवाही पशु चिकित्सक व पशुधन निरीक्षक, राजकीय पशु चिकित्सालय मोहनगढ को करनी थी, इसलिए मैं कई बार इस कार्य हेतु श्री सेानू रैगर पशुधन निरीक्षक व डा0 राघव डोई पशु चिकित्सक से यहां होस्पीटल में आकर मिला, तो दोनों ने मुझे कहा कि कई गांव के लोग तो हमें इस कार्य के 5000-5000 रू. व कई लोग फिफ्टी पर्सेण्ट तक देते हैं, किन्तु आप 2000 रू. दे देना, आपके इस आवेदन का काम कम्पलीट करके किश्तें आपके खाते में डलवा देगें, तब मैंने कहा कि आप किश्तें खाते डलवा दो, बाद में पैसे दे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तब इन्होनें कहा कि बिना पैसे कोई काम नहीं होगा, आप कुछ एडवांस दो तो मौके पर आकर कार्यवाही शुरू कर देगें, जिस पर मैंने इनके द्वारा बहुत ज्यादा कहने पर दिनांक 04.06.2026 को सह-आरोपी श्री सोनू रैगर के फोन-पे नंबर पर मेरे फोन-पे नंबर से 1000 रू. फोन-पे किये, तब उसी दिन सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक अपनी मोटर साईकिल लेकर मेरे साथ मेरे खेत पर चला व मेरी ऊंटनी व उसके तोडिये (बच्चा) का फोटो लेकर उनकी टैगिंग की, इसके बाद मैंने सोनू रैगर से मिलकर व डाक्टर साहब के होस्पीटल में नहीं होने से फोन पर मेरे भाई मनोहरसिंह का भी आवेदन करने की बात कही, तो इन्होनें कहा कि आप आवेदन करवा देना, उसे भी अनुदान दिला देगें, किन्तु उसके भी 2000 रू. लेगें, तब मैंने एसीबी राजस्थान के हैल्पलाईन नंबर पर इनकी शिकायत की, तो आपके बाडमेर एसीबी से मेरे पास फोन आया व इनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश करने का कहा तो मैंने बाडमेर तक आने में असमर्थता जाहिर की, तब मुझे डाक्टर व सोनू पशुधन निरीक्षक दोनों के होस्पीटल में हाजिर होने पर उसकी मालुमात कर सम्पर्क करने का कहा गया, तब दिनांक 05.07.2026 की सांय को मैंने पता किया तो डाक्टर साहब व सोनू रैगर दोनों होस्पीटल में हाजिर मिले, तब मैंने एसीबी बाडमेर से वापस फोन पर सम्पर्क कर दोनों के हाजिर होने की सूचना दी, तो मुझे दूसरे दिन दिनांक 06.07.2026 को मोहनगढ में पशु चिकित्सालय के आस-पास उपस्थित रहने एंव एसीबी कार्मिक श्री शोभसिंह के पंहुचने पर लिखित रिपोर्ट पेश कर अग्रिम कार्यवाही बाबत् समझाईश की गई, जिस पर मैंने दूसरे दिन मेरे भाई मनोहरसिंह का भी इसी योजनान्तर्गत अनुदान हेतु ओनलाईन आवेदन करवाया, किन्तु मनोहरसिंह भी डाक्टर साहब व सोनू को मेरी तरह रिश्वत नहीं देना चाहता था, एंव स्वयं व्यस्त होने से उसने मुझे इनके विरूद्ध एसीबी से कार्यवाही के लिए कहा, एसीबी बाड़मेर से श्री शोभसिंह कानि. के आने पर मैंने उन्हें कार्यवाही बाबत् लिखित रिपोर्ट पेश की, एंव टेप रिकार्डर लेकर वार्ता हेतु होस्पीटल में गया तो सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक होस्पीटल में मिला, किन्तु डाक्टर साहब नहीं मिले, उसने

मेरे से 2000-2000 रू. दोनों आवेदनों पेटे मांगे, तब मैंने कहा कि आपको 1000 रू. फोन पे कर चुका हूं, तब उसने कहा कि राघव जी को 3000 रू. ओर देने पडेगें, मेरी तरफ से तो मैं कर दूंगा, किन्तु राघव जी नहीं करेगें। जिस पर मैंने कहा कि मैं राघव जी से बात कर लूंगा, इसके बाद दिनांक 11.07.2026 को डाक्टर साहब के होस्पीटल में होने की जानकारी पर मैं वापस टेप रिकार्डर लेकर होस्पीटल में डाक्टर राघव जी के पास गया, व मेरे व मेरे भाई के आवेदनों पर अनुदान दिलाने की कार्यवाही का कहा तो डाक्टर साहब ने कोल करके सोनू रैगर को अपने पास बुलाया, व फिर पैसों की बात करते हुए कहा कि बाकी लोगों से तो बहुत ज्यादा लेते हैं, परन्तु आप 2000-2000 रू. के हिसाब से सोनू को दे देना, आपका काम कर देगें, तब मैंने 1000 रू. पूर्व में सोनू को फोन पे करने की बात कही तो इन्होनें 3000 रू. ओर देने का कहा। इसी क्रम में मैं आज अभी कुछ देर पहले होस्पीटल में आया, तो डाक्टर साहब ऑफिस में मिले, एंव कहा कि अकेले के लेकर आये हो या दोनों आवेदनों के पैसे साथ में ही दोगे, तब मैंने कहा कि आज दोनों के ही दे दूंगा, आप मेरा काम कराओ, तब डाक्टर साहब ने कोल कर सोनू रैगर को अपने पास बुलाया व इसे पैसे देने का कहा तो मैंने 3000 रू. डाक्टर साहब के सामने ही सोनू रैगर को दे दिये, जो इसने मेरे से लेकर गिनकर अपने पहने हुए लोअर के दांहिने साईड की जेब में रखे थे, जो अभी भी उसकी जेब में ही हैं। मेरे से रिश्वत लेने में ये दोनों डाक्टर साहब व सोनू मिले हुए हैं, तथा दोनों ने मिलकर के ही मेरे से पैसों की मांग कर पैसे लिये हैं, पैसों के बिना आज तक इन्होनें मेरे व मेरे भाई के आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की हैं। परिवादी के उपरोक्त कथनों के सम्बन्ध में डा0 राघव व सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक को पुनः पूछा गया तो नजरें नीचे किये हुए दोनों निरूत्तर रहे। जिस पर हमराह स्वतन्त्र गवाह श्री शम्भूसिंह सूचना सहायक से आरोपित श्री सोनू रैगर के हाथ में लिये हुए पांच सौ-पांच सौ रूपये के नोटों को प्राप्त करवाया जाकर गिनती करवाई गई तो उक्त 06 नोट, कुल राशि 3000 रू. होने पाये गये, जिस पर दूसरे स्वतन्त्र गवाह श्री जसराज सूचना सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर इन नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो 3000 रू. सभी 500-500 रू. के 06 नोटों के नंबर हुबहू फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये जाने से उक्त बरामदा रिश्वती राशि गवाह श्री शम्भूसिंह सूचना सहायक के पास सुरक्षित रखवाई गई, तत्पश्चात सह-आरोपी श्री सोनू रैगर पशुधन सहायक के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए होस्पीटल से ही एक प्लास्टिक की बोतल में साफ पीने का पानी मंगवाकर इसे दो नई साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलासों में भरकर इसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में सह-आरोपी श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक के दांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार रंगहीन घोल के दूसरे गिलास में सह-आरोपित के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल. एच.-1 व एल. एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार वक्त वाका आरोपित पशुधन सहायक के पहने हुए लोअर, जिसके दांहिने साईड की जेब में आरोपित द्वारा परिवादी से प्राप्त रिश्वती राशि रखी गई थी, का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपित पशुधन निरीक्षक के पहनने हेतु उसके होस्पीटल परिसर में स्थित आवासीय क्वार्टर से एक पैण्ट मंगवाकर पहनने हेतु दी जाकर उसके वक्त वाका पहने हुए लोअर को उतरवाया जाकर चैक किया गया तो यह स्लेटी रंग का क्स्टव्ज्ञ क् कम्पनी का धारीदार लोअर होना पाया गया, इसके दांहिने साईड की जेब का धोवन लेने हेतु एक नई साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलास में पीने का साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया, जिस पर आरोपित के लोअर के दांहिने साईड की जेब को उलटवाकर इसे उक्त गिलास के रंगहीन घोल में डुबोकर दो-तीन बार निचोड़ कर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.-1 व एल.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात उक्त पैण्ट के दांहिने साईड की जेब को कुछ देर तक बाहर हवा/धूप में सुखाकर इन पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर इसे एक सफेद कपड़े की थेली में सील्ड मोहर कर इस पर पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल. अंकित किया गया। आरोपित डा0 राघव द्वारा रिश्वती राशि के नोटों के हाथ नहीं लगाने से इनसे किसी प्रकार का धोवन नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात परिवादी एंव उसके भाई के आवेदन पर होस्पीटल में आरोपितों द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में पूछने पर सह-आरोपी श्री सोनू रैगर ने बताया कि दिनांक 04.06.2026 को प्रेमसिंह के ऊंटनी व तोडिये की टैगिंग करके मेरे मोबाईल में फोटो खींचकर लाया था, इससे आगे की कार्यवाही अभी तक की जानी हैं, फोटो मेरे मोबाईल में सेव हैं, जबकि मनोहरसिंह के आवेदन पर अभी तक होस्पीटल स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं। आरोपित चिकित्सक द्वारा भी सह आरोपित के उक्त तथ्यों की पुष्टि की गई। जिस पर रूबरू गवाहान मोबाईल से उक्त फोटोग्राफ व आवेदन तथा दिनांक 04.06.2026 को परिवादी द्वारा सह आरोपित सोनू रैगर को फोन-पे किये गये 1000 रू.

आदि के स्क्रीन शाट प्राप्त कर इन पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। इस कार्यवाही के दोरान ही श्री मिश्रीमल हैड कानि. मय जाब्ता को आरोपितगण डा0 राघव व श्री सोनू रैगर के होस्पीटल परिसर में स्थित संयुक्त आवासीय क्वार्टर को खाना तलाशी के दृष्टिगत सुरक्षित रखवाने हेतु आवश्यक हिदायत कर उक्त क्वार्टर की निगरानी हेतु मामुर किया गया। तत्पश्चात चूंकि मौके पर बैठकर अग्रिम कार्यवाही करने की लाईट-फर्नीचर आदि की कोई व्यवस्था नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही नजदीक ही स्थित पुलिस थाना मोहनगढ में पंहुच करने का निर्णय लिया जाकर दस्तियाब सुदा दोनों आरोपितगण डा0 राघव व श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक तथा परिवादी श्री प्रेमसिंह एंव मुर्तिबा मालखाना आईटम्स, रिश्वती राशि आदि को हमराह लेकर मन् एएसपी मय हमराहियान जरिये प्राईवेट व सरकारी वाहन के पशु चिकित्सालय मोहनगढ से पुलिस थाना मोहनगढ पंहुच थाने में हाजिर प्रभारी थाना से थाने के कम्पयुटर कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही करने बाबत् मौखिक अनुमति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए दोनों आरोपित व परिवादी से आवश्यक पूछताछ की जाकर स्वतन्त्र गवाह श्री शभूसिंह सूचना सहायक जिन्हें पूर्व में बरामदा रिश्वती राशि सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई थी, से प्राप्त कर एक बार पुनः गिनती करवाई गई तो भारतीय मुद्रा 500-500 रू. के 06 नोट, कुल राशि 3000 रू. होने पाये गये। दूसरे गवाह श्री जसराज सूचना सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर उक्त नोटों के नम्बरों का पुनः मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नंबरो से करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये गये। उक्त राशि को एक सफेद कपडे़ की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर कार्यवाही व नोटों संबधी विवरण लिखकर इस पर मार्क-एम अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात वक्त लेन-देन प्रयुक्त डिजीटल वोइस रिकोर्डर को ओन कर सुना गया तो रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्ता की रिकोर्डिंग होना पाया गया, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त लेन-देन वार्तालाप हस्ब कायदा पृथक से मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण की कार्यवाही के संबध में उच्च अफसरान से हालात निवेदन किये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द रिश्वती राशि बरामदगी एंव हाथ धोवन कार्यवाही सह-आरोपी श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक, राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय मोहनगढ मुर्तिब कर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल मिशल की गई। तत्पश्चात राजकीय पशु चिकित्सालय मोहनगढ में स्थित आरोपित व सह आरोपित के संयुक्त आवासीय क्वार्टर की दोनों आरोपितगण एंव स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में हस्ब कायदा खाना तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब की जाकर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल मिशल की गई। उक्त खाना तलाशी कार्यवाही की हमराह जाब्ता के श्री लालाराम कानि. नं. 328 से राजकीय आॅडियो-विडियो रिकार्डर से रिकोर्डिंग करवाई गई। ताबाद परिवादी श्री प्रेमसिंह की निशांदेही में रूबरू गवाहान घटना/बरामदगी स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा नजरी घटना/बरामदगीस्थल मुर्तिब कर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल मिशल की गई। आरोपितों के कार्यरत स्टाफ श्री पन्नेसिंह जलधारी व श्री राहुल कुमार सफाई कर्मचारी, राजकीय पशु चिकित्सालय मोहनगढ को दिनांक 06.07.2026 को परिवादी श्री प्रेमसिंह व आरोपी श्री सोनू रैगर के मध्य रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 11.07.2026 परिवादी श्री पे्रमसिंह के साथ दोनों आरोपितगणों की रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन द्वितीय वार्ता व आज दिनांक 13.07.2026 को परिवादी श्री प्रेमसिंह के साथ दोनों आरोपितगणों की रूबरू हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता की रिकोर्डिंग ब्यूरो द्वारा डिजीटल वोइस रिकोर्डर में करवाई गई थी, उपरोक्त दोनों आवाज पहचानकर्ताओं को बारी-बारी से उक्त रिकोर्डिंग तीनों वार्ताओं के महत्वपूर्ण अंश डिजीटल वोइस रिकोर्डर ओन कर सुनाई गई तो दोनों आवाज पहचानकर्ताओं ने उक्त रिकोर्डिंग वार्ताएं सुन समझ तसल्ली कर परिवादी के अलावा अन्य आवाज आरोपितगण क्रमषः श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक व डाॅ राघव डोई की होना रूबरू गवाहान ताईद की। दोनों आरोपितगणों के अलावा तीसरे व्यक्ति (परिवादी) की आवाज पहचानने से इन्कार किया गया। उक्त कार्यवाही की हस्ब कायदा फर्द आवाज पहचान आरोपितगण. मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। इस समय तक मौके पर की जाने वाली समस्त कार्यवाही की जा चुकी थी, एंव जैसलमेर से दोनों आरोपित के सेवा विवरण लिये जाने थे, लिहाजा अग्रिम दस्तावेजी कार्यवाही ए.सी.बी. कार्यालय जैसलमेर पंहुच करने का निर्णय लिया जाकर मन् नरेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस मय गवाहान, ब्यूरो जाब्ता, परिवादी श्री प्रेमसिंह, दस्तिायाब सुदा आरोपीगण डा0 राघव डोई व श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक, मुर्तिबा मालखाना आईटम्स, रिश्वती राशि, फर्दात, दस्तावेजात एंव अन्य समस्त सामग्री एंव उपकरण हमराह लेकर जरिये प्राईवेट एंव राजकीय वाहन के रवाना पुलिस थाना मोहनगढ से रवाना होकर भ्रनिब्यूरो कार्यालय जैसलमेर पंहुच परिवादी श्री प्रेमसिंह व गवाहान की उपस्थिति में वक्त ट्रेप कार्यवाही रिश्वती राशि की बरामदगी एंव हाथ धोवन कार्यवाही तथा आरोपितों के राजकीय पशु चिकित्सालय मोहनगढ में स्थित संयुक्त राजकीय क्वार्टर की खाना तलाशी कार्यवाही की राजकीय आॅडियो-विडियो रिकार्डर में लगे राजकीय मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB में श्री लालाराम कानि. नं. 328 के माध्यम से आडियो-विडियो रिकोर्डिंग करवाई गई थी, श्री लालाराम कानि. नं. 328 के माध्यम से उक्त मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB मूल ही राजकीय आॅडियो-विडियों रिकार्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रिकोर्डिंग आडियो-विडियो रिकोर्डिंग की कार्यालय लेपटोप के माध्यम से श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा मन् एएसपी के निर्देषन में हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। तत्पश्चात रूबरू मौतबिरान एंव परिवादी के उक्त मेमोरी कार्ड में विद्यमान उक्त कार्यवाही के आडियो-विडियो रिकोर्डिंग की कार्यालय लेपटोप के माध्यम से

रिश्वती राशि की बरामदगी एंव धोवन कार्यवाही का एक डब मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB तथा आरोपितों के आवासीय क्वार्टर की खाना तलाशी कार्यवाही के दो डब मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB तैयार करवाये गये, मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क V अंकित किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री प्रेमसिंह व सह-आरोपी श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक के मध्य दिनांक 06.07.2026 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग-सत्यापन वार्ता-प्रथम जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में इंस्ट्राल मेमोरी कार्ड SANDISK 8 GB में रिकार्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बषब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप प्रथम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा कार्यालय लेपटोप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटोप के माध्यम से तीन सीडी तैयार कर आई.ओ. व आरोपित तथा सह-आरोपित के लिए खुली रखी गई। डिजीटल वोइस रिकोर्डर में इंस्ट्राल मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB में रिकोर्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। मांग सत्यापन वार्ता की रिकोर्डिंग हेतु डिजीटल वोइस रिकोर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB को मूल ही डिजीटल वोइस रिकोर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क ‘‘डी-1‘‘ अंकित किया गया। आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान श्री प्रेमसिंह द्वारा की गई। इसी प्रकार परिवादी श्री प्रेमसिंह की आरोपी डा0 राघव डोई पशु चिकित्सक व सह-आरोपी श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक के साथ दिनांक 11.07.2026 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग-सत्यापन वार्ता-द्वितीय जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में इंस्ट्राल मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB में रिकार्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बषब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप द्वितीय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा कार्यालय लेपटोप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटोप के माध्यम से तीन सीडी तैयार कर आई.ओ. व आरोपित तथा सह-आरोपित के लिए खुली रखी गई। डिजीटल वोइस रिकोर्डर में इंस्ट्राल मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB में रिकोर्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। मांग सत्यापन वार्ता की रिकोर्डिंग हेतु डिजीटल वोइस रिकोर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB को मूल ही डिजीटल वोइस रिकोर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क ‘‘डी-2‘‘ अंकित किया गया। आरोपी, सह-आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान श्री प्रेमसिंह द्वारा की गई। दिनांक 14.07.2026 को परिवादी श्री प्रेमसिंह की आरोपी डा0 राघव डोई पशु चिकित्सक व सह-आरोपी श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक के साथ दिनांक 13.07.2026 को रूबरू हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में इंस्ट्राल मेमोरी कार्ड BRINTON 08 GB में रिकार्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बषब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा कार्यालय लेपटोप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटोप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आई.ओ. व आरोपित तथा सह-आरोपित के लिए खुली रखी गई। डिजीटल वोइस रिकोर्डर में इंस्ट्राल मेमोरी कार्ड BRINTON 08 GB में रिकोर्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। मांग सत्यापन वार्ता की रिकोर्डिंग हेतु डिजीटल वोइस रिकोर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड BRINTON 08 GB को मूल ही डिजीटल वोइस रिकोर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क ‘‘एल” अंकित किया गया। आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री प्रेमसिंह द्वारा की गई। प्रकरण हाजा में उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी डा0 राघव डोई व सह-आरोपी श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक, राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय मोहनगढ, जिला जैसलमेर के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता-2023 का प्रमाणित पाया जाने से प्रथमतः आरोपी डा0 राघव डोई पशु चिकित्सक को इनके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर इसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 35 बी.एन.एस.एस. 2023 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई

। गिरफ्तारी की सूचना आरोपित के कहेनुसार श्री मनीष मीणा पशुधन निरीक्षक, राजकीय पशु चिकित्सालय लाठी, जिला जैसलमेर को रूबरू दी गई, गिरफ्तारी के प्रावधानों से संबधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी का गिरफ्तारी मीमो एंव चैक लिस्ट चैक लिस्ट अन्तर्गत धारा 35(1)B(II) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा गिरफ्तारी के आधार की सूचना, अन्तर्गत धारा 47(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत हस्ब कायदा पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद सह-आरोपी श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक राजकीय पशु चिकित्सालय मोहनगढ, जिला जैसलमेर को इनके द्वारा कारित अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता-2023 से आगाह कर इसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 35 बी.एन.एस.एस. 2023 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपित के कहेनुसार श्री मनीष मीणा पशुधन निरीक्षक, राजकीय पशु चिकित्सालय लाठी, जिला जैसलमेर को रूबरू दी गई, गिरफ्तारी के प्रावधानों से संबधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी का गिरफ्तारी मीमो एंव चैक लिस्ट चैक लिस्ट अन्तर्गत धारा 35(1)B(II) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा गिरफ्तारी के आधार की सूचना, अन्तर्गत धारा 47(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत हस्ब कायदा पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। फर्द नमूना सील, कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाड़मेर, बसिलसिले ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध डा0 राघव डोई राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय मोहनगढ जिला जैसलमेर एंव अन्य में कार्यवाही के दौरान संकलित सभी प्रादर्श पर प्रयुक्त कार्यालय की गोल मोहर की नमूना फर्द रूबरू मौतबिरान तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दोनों आरोपितों का राजकीय जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। परिवादी श्री प्रेमसिंह को बमुकाम जैसलमेर से फारिक किया गया। प्रकरण हाजा में दोनों गिरफ्तार सुदा अभियुक्तगणों को दिनांक 14.07.2026 को ही माननीय विशिष्ठ न्यायालय, भ्र.नि.अ. जोधपुर सं. 01 के समक्ष पेश करना प्रस्तावित होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय पर्याप्त जाब्ता के मय दोनों गिरफ्तार सुदा अभियुक्तगण डा0 राघव डोई पशु चिकित्सक व सह-आरोपी श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक के हमराह जैसलमेर से ही जोधपुर के लिए रवाना होने का निर्णय लिया जाकर प्रकरण हाजा में मुर्तिबा मालखाना आईटम्स यथा आर.एच.-1, आर.एच.-2, एल.एच.-1, एल.एच.-2, एल.-1, एल.-2, सील्ड सुदा रिश्वती राशि 3000 रू. का पैकेट मार्क-एम, लोआर पैकेट मार्क-एल., वार्ताओं एंव आडियो-विडियो रिकोर्डिंग के सील्ड युक्त मेमोरी कार्ड एंव डब सीडियां एवं डिजिटल वाईस रिकार्डर, लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बोक्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री हमराह जाब्ता के श्री सुराब हैड कानि. नं. 97 प्रभारी मालखाना को सुपुर्द कर शेष जाब्ता एंव गवाहान के साथ जैसलमेर से सीधे ही ए.सी.बी. ओपी बाड़मेर जाने एंव मालखाना आईटम्स सुरक्षित हालात में जमा मालखाना करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण हाजा में की गई उपरोक्त कार्यवाही से अभियुक्त डा0 राघव डोई पशु चिकित्सक व सह-अभियुक्त श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक, राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय मोहनगढ, जिला जैसलमेर द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद् का दुरूपयोग कर भ्रष्ट व अवैध तरीके से आपसी मिलीभगत कर परिवादी श्री प्रेमसिंह व उसके भाई श्री मनोहरसिंह निवासी मोहनगढ द्वारा राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही ऊंट संरक्षण योजना के तहत आवेदन करने पर उक्त योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि 10,000-10,000 की दो किष्ते (गर्भवती ऊंटनी के संरक्षण हेतु प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात उसके बच्चे/टोडिये हेतु) दिलाने के क्रम में दोनों भाईयों के आवेदनों का सत्यापन करने, उनकी ऊंटनी व उसके बच्चे (तोडिया) की टैगिंग करने के पश्चात आवेदनों को ओनलाईन कर किश्तें इनके बैंक खातों में डलवाने की ऐवज में प्रति आवेदन 2000 रू. के हिसाब से दोनों आवेदनों पेटे कुल 4000 रू. रिश्वत राशि की मांग कर आरोपी सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक द्वारा 1000 रू. पूर्व में दिनांक 04.06.2026 को परिवादी से जरिये फोन-पे प्राप्त करने, एंव तत्पश्चात दिनांक 13.07.2026 को वक्त लेन-देन पशु चिकित्सालय मोहनगढ में आरोपित डा0 राघव डोई के कहेनुसार उनके समक्ष ही सह-आरोपी श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रेमसिंह से शेष रिश्वती राशि 3000 रू. प्राप्त कर स्वयं के पहने हुए लोअर के दांहिने साईड की जेब में रखने के पश्चात दोनों आरोपितों को मौकास्थल से ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर रिश्वती राशि 3000 रू. आरोपित श्री सोनू रैगर पशुधन निरीक्षक के वक्त वाका पहने हुए लोअर के दांहिने साईड में जेब में से रूबरू मौतबिरान बरामद रूबरू मौतबिरान बरामद की गई। इत्यादि कृत्य से आरोपित के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. 2023 का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। लिहाजा गिरफ्तार सुदा अभियुक्तगणों को आज के रोज माननीय सक्षम न्यायालय के समक्ष जे.सी. हेतु पेश किया जायेगा। अतः अभियुक्त डा0 राघव डोई पुत्र श्री श्रवणकुमार, जाति गुर्जर, उम्र 25 वर्ष, पैशा यू.टी.बी. संविदा पशु चिकित्सक, निवासी ग्राम पंचपड़ी, तहसील प्रतापगढ, जिला अलवर, हाल यू.टी.बी. अन्तर्गत संविदा पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय ताड़ना, अतिरिक्त प्रभार राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय मोहगढ, जिला जैसलमेर व सह-अभियुक्त श्री सोनू रैगर पुत्र श्री प्रकाषचन्द रैगर, जाति रैगर, उम्र 23 वर्ष, पैशा यू.टी.बी. संविदा पशुधन निरीक्षक, निवासी ग्राम धूनी, तहसील धूनी, पुलिस थाना धूनी, जिला टोंक, हाल यू.टी.बी. अन्तर्गत संविदा पशुधन निरीक्षक, राजकीय पशु

चिकित्सालय उपकेन्द्र मंडाऊ, अतिरिक्त प्रभार पशुधन निरीक्षक, राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय मोहनगढ, जिला जैसलमेर के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता-2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेष फरमावें। भवदीय (नरेन्द्र कुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बाडमेर।.......... कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता-2023 में आरोपीगण 1- डॉ. राघव डोई पुत्र श्री श्रवणकुमार, जाति गुर्जर, उम्र 25 वर्ष, पैशा यू.टी.बी. संविदा पशु चिकित्सक, निवासी ग्राम पंचपड़ी, तहसील प्रतापगढ, जिला अलवर, हाल यू.टी.बी. अन्तर्गत संविदा पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय ताड़ना, अतिरिक्त प्रभार राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय मोहगढ, जिला जैसलमेर व 2- श्री सोनू रेगर पुत्र श्री प्रकाशचन्द रेगर, उम्र 23 वर्ष, पैशा यू.टी.बी. संविदा पशुधन निरीक्षक, निवासी ग्राम धूनी, तहसील धूनी, पुलिस थाना धूनी, जिला टोंक, हाल यू.टी. बी. अन्तर्गत संविदा पशुधन निरीक्षक, राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र मंडाऊ, अतिरिक्त प्रभार पशुधन निरीक्षक, राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय मोहनगढ, जिला जैसलमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री कैलाशदान जुगतावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बालोतरा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 283 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1188-91 दिनांक 16.07.2026 प्रति़लिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3– उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KAILASH DAN JUGTAWAT **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 16/07/2026 14:35:23

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	2001				
2	Male	2003				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)